भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2029
30 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

किफायती आवास की बढ़ती मांग

†2029. डॉ. नामदेव किरसानः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि तीव्र शहरीकरण के परिणामस्वरूप देशभर में किफायती आवास, बुनियादी नागरिक सुविधाओं तथा सतत शहरी अवसंरचना की मांग में वृद्धि हुई है।
(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान किफायती आवास उपलब्ध कराने, शहरी अवसंरचना में सुधार करने तथा शहरी नागरिकों के लिए बेहतर जीवन-यापन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित राज्य-वार आवंटित, स्वीकृत एवं उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने छोटे नगरों, आकांक्षी जिलों तथा जनजाति-बहुल क्षेत्रों में किफायती आवास की कमी एवं शहरी अवसंरचना में विद्यमान अंतराल का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इन चुनौतियों के समाधान के लिए किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): तेजी से हो रहे शहरीकरण के परिणामस्वरूप किफायती आवास, बुनियादी नागरिक सुविधाओं, जल एवं टिकाऊ शहरी अवसंरचना की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ती आर्थिक गतिविधियों, रोजगार के अवसरों और प्रवासन के कारण शहरी क्षेत्रों के तीव्र विकास ने पर्याप्त आवास और अवसंरचना सुविधाओं के साथ नियोजित शहरी विकास को आवश्यक बना दिया है। 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। अतः अपने-अपने क्षेत्रों में नागरिकों के लिए आवास,

जल, अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं और टिकाऊ शहरी अवसंरचना से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है।

तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय विभिन्न मिशनों, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) एवं पीएमएवाई-यू 2.0, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) एवं एसबीएम-यू 2.0, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) एवं अमृत 2.0, मेट्रो रेल परियोजनाओं, पीएम-ई-बस सेवा योजना, अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) आदि के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य सहित देश-भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं सहित सभी मौसमों के अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, मंत्रालय ने इस योजना में बदलाव किया है तथा देश-भर के शहरी क्षेत्रों में 01.09.2024 से कार्यान्वयन के लिए छोटे शहरों, आकांक्षी जिलों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लाभार्थियों सहित 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पीएमएवाई-यू 2.0 'सबके लिए आवास' मिशन प्रारंभ किया है।

पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 मांग-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता का आकलन करते हैं। पात्र नागरिक पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से सभी आवश्यक विवरणों सहित आवेदन करते है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय योजना के संचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं तथा लाभार्थियों का चयन/लाभार्थियों की सूचियों की जांच राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है। योजना के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश तथा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एकीकृत वेब पोर्टल https://pmay-urban.gov.in पर उपलब्ध हैं।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा अब तक कुल 127.68 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत 16.20 लाख आवास भी शामिल हैं। इनमें से दिनांक 13.07.2026 की स्थिति के अनुसार, देशभर में 121.03 लाख

आवास निर्माणाधीन हैं और 99.07 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। कुल 2,12,483 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता अनुमोदित की गई है, जिसमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत अनुपालनों के आधार पर 1,80,582 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान तथा योजना के शुरुआत से स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी) और वैयक्तिक घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराई गईं। सीटी और आईएचएचएल मुख्य रूप से वंचित परिवारों के लिए होते हैं, जबकि पीटी आम जनता और आवागमन करने वाली आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, 1 अक्टूबर 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में 100 प्रतिशत कचरा-मुक्त शहर (जीएफसी) बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 शुरू किया गया है। विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं, प्रयुक्त जल प्रबंधन और शौचालय घटकों की स्थापना के साथ-साथ सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) तथा क्षमता निर्माण संबंधी कार्यकलापों के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत 36,465 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें से आज की तिथि तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 9,205 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं जिसमें महाराष्ट्र राज्य के लिए जारी 1,079 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

भारत सरकार ने जून 2015 में अमृत की शुरुआत की, ताकि चयनित 500 शहरों में बुनियादी शहरी **अवसंरचना** को सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, **वर्षा** जल निकासी, गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन और हरित **क्षेत्रों** के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसके अलावा, अमृत 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में शुरू की गई है, जिससे शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनने में **स**हायता प्रदान की गई **है।** अमृत के अंतर्गत**,** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 83,491 करोड़ रुपए की 6,007 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 34,901 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं**,** जिसमें महाराष्ट्र राज्य के लिए जारी 3,356 करोड़ रुपए भी शामिल हैं**,** जिनमें से 33,444 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है। अमृत 2.0 के अंतर्गत**,** परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र हेतु जारी 3,760 करोड़ रुपये सहित

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 23,752 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं/मूल स्वीकृति जारी की गई है**,** जिनमें से 19,942 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है।

शहरी परिवहन के संबंध में शहरों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न मार्गदर्शी दस्तावेज अधिसूचित किए गए हैं। नीतिगत पहलों के अलावा, वर्तमान में देश के 26 शहरों में लगभग 1,159 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क (82.15 किलोमीटर आरआरटीएस सहित) चालू है। इसके अतिरिक्त, 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 116 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की शुरूआत के साथ शहरी क्षेत्रों में बस संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से 16 अगस्त 2023 को पीएम-ई-बस सेवा योजना शुरू की गई थी। दिनांक 10.07.2026 की स्थिति के अनुसार, 100 से अधिक शहरों में 200 से अधिक अवसंरचना परियोजनाओं (बिहाइंड-द-मीटर विद्युत एवं सिविल अवसंरचना) को ₹1,352 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के लिए ₹373 करोड़ रुपए की धनराशि भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, 4 शहरों के लिए ₹11.79 करोड़ रुपए की बस परिचालन सब्सिडी भी जारी की गई है, जिसमें नागपुर (महाराष्ट्र) के लिए ₹2.67 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ)योजना को 15 अप्रैल, 2026 से क्रियान्वित किया गया है। यूसीएफ, 'विकास केंद्र के रूप में शहर', 'शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास' तथा 'जल और स्वच्छता' नामक तीन घटकों के अंतर्गत परिवर्तनकारी एवं प्रभावशाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी अवसंरचना के विकास और सुदृढ़ीकरण में सहायता प्रदान करता है। अब तक, कुल 33 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं/सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य की 3 परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत ₹1,983 करोड़ रुपए है तथा केंद्रीय सहायता ₹478 करोड़ रुपए है।

अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू एवं पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत योजना के प्रारंभ से तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	योजना के प्रारंभ से वास्तविक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति						पिछले पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) के दौरान केंद्रीय सहायता का विवरण (करोड़ रुपए में)	
		आवास (संख्या)			केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)				
		स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण/सौपे गए	अनुमोदित	जारी की गई	उपयोग की गई	अनुमोदित	जारी की गई और उपयोग की गई**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	261	261	234	4.11	3.72	2.88	0.06	2.82
2	आंध्रप्रदेश	19,67,971	18,70,787	11,38,126	29,998.47	24,072.20	23,516.10	9,797.99	13,765.87
3	अरूणाचल प्रदेश	14,287	13,005	9,495	315.84	241.70	220.54	171.80	102.11
4	असम	2,21,943	1,84,600	1,48,507	3,745.19	2,589.04	2,495.70	1,219.59	1,519.48
5	बिहार	4,66,855	4,25,630	2,02,188	7,233.78	5,023.48	4,478.86	2,707.06	2,066.73
6	चंडीगढ़	1,286	1,286	1,286	28.88	28.88	28.88	6.75	6.75
7	छतीसगढ	3,46,253	3,08,753	2,68,384	5,451.02	4,698.44	4,317.81	2,261.45	1,879.29
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	10,712	10,712	10,454	217.05	211.18	203.30	63.39	71.65
9	दिल्ली	33,625	33,625	33,625	705.42	705.42	705.41	123.47	123.47
10	गोवा	3,180	3,180	3,180	74.88	74.88	74.88	16.64	16.64
11	गुजरात	11,35,670	10,40,736	9,93,987	22,636.54	20,571.78	20,132.74	9,435.22	9,334.68
12	हरियाणा	1,36,108	87,475	74,658	2,473.67	1,692.00	1,579.95	568.10	426.71
13	हिमाचल प्रदेश	14,034	13,429	12,142	244.91	228.67	214.49	98.22	92.53
14	जम्मू और कश्मीर	45,982	43,907	35,961	734.44	544.40	524.53	294.05	192.74
15	झारखंड	2,43,343	2,10,794	1,70,450	3,814.87	3,215.92	3,066.03	1,207.00	819.76
16	कर्नाटक	5,78,080	4,98,868	4,06,720	9,700.42	7,778.04	7,454.11	1,428.21	2,603.73
17	केरल	1,62,251	1,55,725	1,43,267	2,701.65	2,500.31	2,426.83	822.27	998.94
18	लद्दाख	1,138	1,071	1,009	33.63	26.74	19.65	3.84	9.04

19	मध्य प्रदेश	10,39,941	9,98,165	9,10,322	16,984.38	16,101.17	15,665.11	5,382.66	6,594.50
20	महाराष्ट्र	13,84,240	12,16,585	10,74,552	25,358.64	20,446.21	19,988.54	10,053.14	9,405.93
21	मणिपुर	56,047	51,225	24,046	867.95	614.80	553.11	163.48	219.48
22	मेघालय	8,692	4,580	3,138	160.83	85.05	53.96	52.39	47.80
23	मिजोरम	40,704	39,361	34,262	635.91	534.13	520.53	31.02	331.36
24	नागालैंड	37,223	32,164	30,228	630.52	496.98	433.31	29.95	170.80
25	ओडिशा	2,37,116	2,01,292	1,74,404	3,681.50	2,916.21	2,608.64	1,550.25	1,077.50
26	पुदुचेरी	19,752	19,269	12,923	337.93	273.86	226.65	148.73	101.05
27	पंजाब	1,58,768	1,35,494	1,05,497	2,714.22	2,197.59	1,922.97	1,225.69	887.02
28	राजस्थान	3,80,646	3,44,873	2,76,804	6,662.95	5,858.36	5,481.00	3,876.34	3,198.06
29	सिक्किम	301	301	220	5.91	5.91	5.91	2.03	2.03
30	तमिलनाडु	6,85,715	6,73,709	6,32,085	11,238.61	10,891.76	10,690.10	2,262.32	3,762.24
31	तेलंगाना	3,89,372	2,73,453	2,29,673	6,552.38	4,168.95	3,940.59	2,554.84	1,262.13
32	त्रिपुरा	92,213	88,966	82,942	1,516.78	1,374.81	1,342.97	313.98	315.43
33	उत्तर प्रदेश	21,60,179	20,41,278	17,25,799	33,628.24	30,248.01	28,827.05	11,928.79	13,588.13
34	उत्तराखंड	67,089	65,866	56,244	1,220.92	1,114.36	1,070.64	530.91	543.65
35	पश्चिम बंगाल	6,27,055	6,11,396	5,38,363	10,085.96	8,962.76	8,830.38	2,530.55	3,674.46
कुल		**128 लाख**	**121 लाख~**	**99 लाख~**	**2.12 लाख करोड़**	**1.81 लाख करोड़***	**1.74 लाख करोड़**	**72,862.19***	**79,214.53***

** **पीएमएवाई-यू 2.0 के आईएसएस घटक के अंतर्गत स्वीकृत 123.52 करोड़ रुपए को छोड़कर।**

** ***पूर्ववर्ती वर्षों में स्वीकृत आवासों के लिए वर्ष के दौरान जारी की गई केंद्रीय सहायता शामिल है।**

~ जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत पूर्ण (3.42 लाख) और निर्माणाधीन (4.01 लाख) आवास शामिल हैं।